आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री परेश एम.जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं.483/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2009-10

महेन्द्र सिंह 97, एयरपोर्ट रोड, गांधी नगर गोंदर मऊ, भोपाल (म.प्र)	बनाम	आयकर अधिकारी, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एफवाईयूपीएस 2084 एच PAN- FYUPS2084H		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं (लिखित आवेदन)
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	08.04.2025
उद्घोषणा तिथि	08.04.2025

आदेश

श्री परेश एम.जोशी, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), भोपाल के आदेश दिनांक 16.11.2023 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती के अधिवक्ता श्री मयंक शर्मा, सीए द्वारा लिखित निवेदन दिनांक 17.03.2025 दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है और अपील वापिस लेना चाहता है । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 08.04.2025 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम.बियाणी)	(परेश एम.जोशी)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 08.04.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल